

समयबद्ध

संख्या: 39/2019/ 2882 /12-2-2019-14/2016

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2019

विषय: खरीफ मौसम में फसल अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि खरीफ मौसम में फसल जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओरिजनल अप्लीकेशन नं0-666/2018 श्रीमती गंगा लालवानी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में भारत सरकार एवं अन्य की सुनवाई करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को सुनवाई के उपरान्त फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम किए जाने हेतु शासन स्तर एवं जनपद स्तर पर दिनांक 07 अक्टूबर, 2019 के पूर्व एक सेल का गठन करते हुए प्रत्येक दिन अनुश्रवण किए जाने के निर्देश दिये गए हैं।

2. उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या: 581/35-1-2018-05 दिनांक 06 अगस्त, 2018 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड/तहसील स्तर पर संबंधित उप जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सचल दस्ते का गठन करने के भी निर्देश पूर्व में दिये गये हैं। उक्त सचल दस्ते में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के एक-एक अधिकारी को भी सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में पराली/कृषि अपशिष्ट को न जलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3. अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिनांक 07 अक्टूबर, 2019 के पूर्व अपने जनपद के अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में पराली/कृषि अपशिष्ट के जलाने की रोकथाम हेतु एक सेल का गठन किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय क्षेत्रीय लेखपाल को यह निर्देशित किया जाए कि किसी भी दशा में अपने से संबंधित क्षेत्र में पराली/कृषि अपशिष्ट न जलाने दिया जाए। पराली/कृषि अपशिष्ट

जलाये जाने की घटना पाए जाने पर संबंधित को दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या: 1618/1-9-2017-रा-9 दिनांक 13 नवम्बर, 2017 द्वारा क्षतिपूर्ति की वसूली एवं पुनरावृत्ति होने पर संबंधित के विरुद्ध अर्थदण्ड लगाए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ऐसी घटना होने पर उक्त शासनादेश के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। पराली जलाने की घटना प्रकाश में आने पर संबंधित लेखपाल जिम्मेदार होंगे।

4. अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में गठित प्रत्येक सेल का दायित्व होगा कि धान कटने के समय से लेकर रबी में गेहूँ की बुवाई तक प्रतिदिन फसल अवशेष जलाने की घटनाओं एवं इसकी रोकथाम के लिए की गयी कार्यवाही की समीक्षा कराते हुए प्रत्येक कार्य दिवस उक्त रिपोर्ट उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष तथा प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग एवं प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत की जाएगी। कृषि विभाग का यह दायित्व होगा कि वह फसल अवशेष के जलाने की रोकथाम तथा इसके दुष्परिणामों के सम्बन्ध में कृषकों को व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूक करने की कार्यवाही भी करायी जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

मुख्य सचिव।

संख्या: 39 /2019/ 2882(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 (प्रति संलग्न) के क्रम में इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया फसल अवशेष जलाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु राज्य स्तर पर नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए मुख्य सचिव कार्यालय में सेल गठित करने हेतु एक अपर निदेशक, कृषि तथा एक वैज्ञानिक अधिकारी/पर्यावरण अभियन्ता दिनांक 07 अक्टूबर, 2019 के पूर्व तैनात किया जाए। उक्त सेल का दायित्व होगा कि प्रत्येक कार्य दिवस में संबंधित जनपद के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन व मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करायी जाए।
- ✓ 2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि निदेशक, रिमोट सेंसिंग सेन्टर से फसल अवशेष की घटनाओं का रिमोट सेंसिंग के माध्यम से अनुश्रवणकर्ता से विगत वर्षों की रिपोर्ट प्राप्त कर उसका तुलनात्मक अध्ययन करायी जाना सुनिश्चित करें ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं की स्थिति से अवगत करायी जा सके।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 सिंह)

विशेष सचिव।